



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032022-234305
CG-DL-E-19032022-234305

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2022/फाल्गुन 26, 1943

No. 75]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2022/PHALGUNA 26, 1943

भारी उद्योग मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

फा. सं- ई-11014/3/2014-हिंदी.—गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87-रा.भा.(क-2), दिनांक 15 मार्च, 1988 और का.ज्ञा. सं. II/20015/45/87-रा.भा.(क-2), दिनांक 04-05-1989 के अनुसरण में तथा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के दिनांक 07 सितंबर, 2015 के संकल्प सं. ई-11014/3/2014-हिंदी का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार एतद्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है। इस पुनर्गठित समिति का संघटन, कार्य और कार्यकाल आदि निम्नानुसार होंगे:

1. गठन

1.	भारी उद्योग मंत्री	अध्यक्ष
2.	भारी उद्योग राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष

2. गैर-सरकारी सदस्य

क. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

1.	श्री हंसराज हंस	लोक सभा	सदस्य
----	-----------------	---------	-------

2.	श्री भोला सिंह	लोक सभा	सदस्य
3.	श्रीमती सीमा द्विवेदी	राज्य सभा	सदस्य
4.	श्री रामनाथ ठाकुर	राज्य सभा	सदस्य

ख. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित दो सदस्य

5.	श्री बशिष्ठ नारायण सिंह 36, हार्डिंग रोड हज भवन के नज़दीक, पटना (बिहार) ----- एबी-93, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011	राज्य सभा	सदस्य
6.	श्री दिनेश चंद्र यादव ग्राम-बनमा, पोस्ट-इटाहारी, थाना-सलखुआ बाज़ार, ज़िला- सहरसा, बिहार-852126 (बिहार)	लोक सभा	सदस्य

ग. अखिल भारतीय स्वैच्छिक हिंदी संस्था के प्रतिनिधि

7.	डॉ. बंडोपंत यशवंत पाटील 77ए, निर्मिति विहार, बिजापुर रोड, सोलापुर- 413004 (महाराष्ट्र)	सदस्य
----	--	-------

घ. केंद्रीय हिंदी सचिवालय परिषद् द्वारा नामित

8.	श्री टेक चंद मंगला 70, शुभम अपार्टमेंट्स 37, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन, दमकल कार्यालय के सामने पटपड़गंज, दिल्ली-110092	सदस्य
----	---	-------

ङ. मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

9.	प्रो. ओकेन लेगो विभागाध्यक्ष, हिंदी राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स, दोईमुख-791112 (अरुणाचल प्रदेश)	सदस्य
10.	डॉ. सन्त राम वैश्य 15-ए, गंगोत्री स्ट्रीट, विष्णु गार्डन, पोस्ट-गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404 (उत्तराखंड)	सदस्य
11.	प्रो. पूरन चंद टंडन डी-67, शुभम एनक्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063	सदस्य
12.	डॉ. वंदना पांडेय एमजी-17डी, भूतल, एलडिको, ओमिक्रॉन-1, ग्रेटर नोएडा-201310 (उत्तर प्रदेश)	सदस्य

च. गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य

13.	डॉ. (श्रीमती) साधना जग्गी 388, भारतीय स्टेट बैंक के पास, सुभाष मोहाल, सदर बाज़ार, सदर कैट, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
14.	डॉ. रीता सिंह सिंह विला, बिहाली, रायसन, ज़िला-कुल्लू, हिमाचल प्रदेश-175128	सदस्य
15.	डॉ. अंजली धमेजा डी-16/183-184, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085	सदस्य

3. सरकारी सदस्य

16.	सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय	सदस्य
17.	विशेष सचिव व वित्त सलाहकार	सदस्य
18.	अपर सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी), भारी उद्योग मंत्रालय	सदस्य-सचिव
20.	संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय	सदस्य
21.	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय	सदस्य
22.	सचिव(भारत सरकार के हिंदी सलाहकार), राजभाषा विभाग	सदस्य
23.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
24.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
25.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
26.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	सदस्य
27.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	सदस्य
28.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, त्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	सदस्य
29.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली	सदस्य
30.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची (झारखंड)	सदस्य
31.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एचएमटी लिमिटेड, बेंगलूरु (कर्नाटक)	सदस्य
32.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर (राजस्थान)	सदस्य
33.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नेपा लिमिटेड, बुरहानपुर (मध्यप्रदेश)	सदस्य
34.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड, जयपुर (राजस्थान)	सदस्य

35.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (NAB), नई दिल्ली	सदस्य
36.	निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (iCAT), मानेसर, गुरुग्राम (हरियाणा)	सदस्य
37.	निदेशक, दि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), पुणे (महाराष्ट्र)	सदस्य
38.	निदेशक, केंद्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान (CMTI), बेंगलूरु (कर्नाटक)	सदस्य
39.	निदेशक, फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (FCRI), पलक्काड, केरल	सदस्य

II. कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियमावली के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय और इसके अधीनस्थ उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों/कार्यालयों में हिंदी की स्थिति की समीक्षा करना और हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

III. कार्य-अवधि

1. समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से सामान्यतः 3 वर्ष का होगा।
2. समिति के कार्यकाल के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
3. विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल कम या ज्यादा किया जा सकता है।
4. जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
5. समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं जिनके नाते वे समिति के सदस्य हैं।

IV. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकती है। समिति से संबंधित सभी पत्राचार संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 के पते अथवा ई-मेल आईडी HINDISECTION-DHI@NIC.IN पर किया जाएगा।

V. यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते

(क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.॥/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत, समिति में नामित सांसदों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 'संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954' के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता देय होगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ॥/20034/04/86-रा.भा.(नीति-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित/निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा- भत्ता / दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा

सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

RESOLUTION

New Delhi, the 17th March, 2022

F. No. E. 11014/3/2014-Hindi.—In pursuance of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language O.M. No. II/20015/45/87-O.L.(A-2) dated 15th March, 1988 and O.M. No. II/20015/45/87-O.L.(A-2) dated 04-05-1989 and in supersession of Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises' Resolution No. E-11014/3/2014-Hindi, dated 07 September, 2015, Government of India hereby reconstitutes Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Heavy Industries. The composition, functions etc. of the reconstituted Samiti will be as given hereunder:

1. COMPOSITION

1.	Minister of Heavy Industries	Chairman
2.	Minister of State for Heavy industries	Vice-Chairman

2. NON-OFFICIAL MEMBERS

A. Four members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

1.	Sh. Hans Raj Hans	Lok Sabha	Member
2.	Shri Bhola Singh	Lok Sabha	Member
3.	Smt. Seema Dwivedi	Rajya Sabha	Member
4.	Shri Ram Nath Thakur	Rajya Sabha	Member

B. Two members of Parliament from Parliamentary Committee on Official Language

5.	Shri Bashishtha Narayan Singh Add: 36, Harding Road, Near Haj Bhawan, Patna (Bihar) ----- AB-93, Shahjahan Road, New Delhi	Rajya Sabha	Member
6.	Shri Dinesh Chandra Yadav Add: Vill.-Banma, Post-Itahari, P.S.-Salkhua Bazar, Distt.-Saharsa-852126 (Bihar)	Lok Sabha	Member

C. Representatives of All India Hindi Institute

7.	Dr. Bandopant Yashwant Patil 77A, Nirmiti Vihar Bijapur Road, Solapur-413004 (Maharashtra)	Nominated by Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha-442003	Member
----	---	--	--------

D. Representatives of Kendriya Sachivalay Hindi Parishad

8.	Shri Tek Chand Mangla 70, Shubham Apartments 37, Indraprastha Extn., Patparganj, Opp. Fire Station, Delhi-110092	Member
----	---	--------

E. Members nominated by the Ministry

9.	Prof. Oken Lego HOD, Hindi Rajiv Gandhi University Rono Hills, Doimukh-791112 (Arunachal Pradesh)	Member
10.	Dr. Sant Ram Vaishya 15-A, Gangotri Street, Vishnu Garden Post-Gurukul Kangdi, Haridwar (Uttarakhand)	Member
11.	Dr. Puran Chand Tandon D-67, Shubham Enclave, Paschim Vihar, New Delhi-110063	Member
12.	Dr. Bandana Pandey MG-17D, Ground Floor, Aldico, Omicron, Greater Noida	Member

F. Representatives nominated by the Department of Official Language, MHA

13.	Dr.(Smt.) Sadhna Jaggi 388, Near State Bank of India, Subhash Mohal Sadar Bazar, Sadar Cantt., Lucknow (UP)	Member
14.	Dr. Rita Singh Singh Villa, Raisan Distt- Kullu- 175128 (HP)	Member
15.	Dr. Anjali Dhameja D-16/183-184, Sector-3 Rohini, Delhi-110085	Member

3. OFFICIAL MEMBERS

16.	Secretary (MHI)	Member
17.	Special Secretary & Financial Advisor	Member
18.	Addl. Secretary, MHI	Member
19.	Joint Secretary (Incharge, Official Language), MHI	Member-Secretary
20.	Joint Secretary, MHI	Member
21.	Sr. Economic Advisor	Member
22.	Secretary (Hindi Advisor to the Govt. of India), Department of Official Language	Member
23.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
24.	CMD, Bharat Heavy Electricals Ltd., Delhi	Member
25.	CMD, Engineering Projects (India) Ltd., New Delhi	Member
26.	CMD, BBJ Construction Company Ltd., Kolkata (W.B.)	Member
27.	CMD, Andrew Yule & Company Ltd, Kolkata (W.B.)	Member
28.	CMD, Bridge & Roof Company (India) Ltd., Kolkata (W.B.)	Member
29.	CMD, Cement Corporation of India Ltd., Delhi	Member
30.	CMD, Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi, Jharkhand	Member
31.	CMD, HMT Ltd., Bangalore (Karnataka)	Member

32.	CMD, Hindustan Salts Ltd & Sambhar Salts Ltd., Jaipur, Rajasthan	Member
33.	CMD, NEPA Ltd., Burhanpur, Madhya Pradesh	Member
34.	CMD, Rajsthan Electronics & Instruments Ltd., Jaipur, Rajasthan	Member
35.	Sr. Administrative Officer, National Automotive Board, New Delhi	Member
36.	Director, International Centre for Automotive Technology, Manesar, Gurugram (HR)	Member
37.	Director, The Automotive Research Association of India, Pune (MH)	Member
38.	Director, Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore	Member
39.	Director, Fluid Control Research Institute, Palakkad, Kerala	Member

II FUNCTIONS

The functions of the Samiti will be to review the performance and render advice with regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the constitution, Official Languages Act and Rules, and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) relating to official language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry of Heavy Industries & its CPSEs/Autonomous bodies/offices.

III TENURE

The tenure of the Samiti will be ordinarily for 3 years from the date of its constitution.

1. If a person is nominated as Member in the middle of the term, he will hold the office for the residual term of the Samiti.
2. In special circumstances, the tenure of the Samiti may be curtailed or enhanced by the Ministry.
3. Member of Parliament who are the members of Committee shall cease to be members as soon as they cease to be Member of Parliament.
4. Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti.

IV GENERAL

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but if considered necessary it may hold its meetings at any other place also. All correspondences related to the Samiti will be addressed to the Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 or may be sent on e-mail ID hindisection-dhi@nic.in

V T.A. AND OTHER ALLOWANCES

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti, will be paid Travelling Allowance/Daily Allowance as per the provisions in the “Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954” and amendments issued from time to time and rules made thereunder vide Department of Official Language Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L (Policy-2), dated 03.02.2006 for participating in meetings of the Samiti.

(b) Travelling Allowance/Daily Allowance to other non-official members of the Samiti, will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No.II/22034/04/86-OL(A-2) dated 22.01.1987 keeping in view the high level status of the Committee and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Heavy Industries, all State Governments and Union Territory Administrations, President Secretariat, Prime Minister’s Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Aayog, Comptroller and Auditor General of India; Accountant General- Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the resolution be Published in the Gazette of India for General information.

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.